

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**



S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 13923/2025

Sonu Suman S/o Ramkaran Suman, Aged About 32 Years, R/o Neelkanth Colony, Police Station Kotwali Baran, Baran, District Baran (Rajasthan) (At Present Confined In District Jail, Baran).

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through PP

-----Respondent

For Petitioner(s) : Mr. Girish Khandelwal
For Respondent(s) : Mr. Amit Gupta, P.P.

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

12/11/2025

प्रार्थी/अभियुक्त **सोनू सुमन** की ओर से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक-**15.10.2025** के विरुद्ध यह जमानत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा **483** भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसे पुलिस थाना **आबकारी निरोधक दल, बारां** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **11/2025-2026**, अपराध अन्तर्गत धारा **19 (4)/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम** में नियमित जमानत प्रदान किये जाने के संबंध में प्रस्तुत किया गया है।

बहस सुनी गई।

योग्य अधिवक्ता प्रार्थी का तर्क है कि प्रार्थी को मामले में झूठा फंसाया गया है, वह निर्दोष है। प्रार्थी दिनांक 13.10.2025 से अभिरक्षा में है। प्रकरण प्रथम वर्ग, मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। प्रकरण के अनुसंधान एवं विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः प्रार्थी को जमानत पर छोड़ा जावे।

विद्वान लोक अभियोजक ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया।

हमने दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों व वितर्कों पर मनन किया। प्रार्थी दिनांक—13.10.2025 से अभिरक्षा में है। प्रकरण प्रथम वर्ग, मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। अतः प्रकरण की तथ्यात्मक स्थिति, अनुसंधान के दौरान आयी साक्ष्य, प्रार्थी की अभिरक्षा अवधि, अन्वीक्षा में लगने वाले समय व अन्य समस्त परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, प्रकरण के गुणावगुण पर कोई अंतिम राय व्यक्त किए बिना प्रार्थी को जमानत की सुविधा दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

परिणामतः यह जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त विचारण न्यायालय के संतोषप्रद 50,000/—रुपए (अक्षरे रुपये पचास हजार मात्र) का व्यक्तिगत बंधपत्र व 25,000—25,000/—रुपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दे कि वह प्रकरण के विचारण के दौरान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रत्येक तारीख पेशी पर उपस्थित होता रहेगा तो प्रार्थी/अभियुक्त **सोनू सुमन पुत्र श्री रामकरण** को (यदि वह अन्य किसी प्रकरण में वांछित न हों तो) अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J